रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2628] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 4, 2016/कार्तिक 13, 1938
No. 2628] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 4, 2016/KARTIKA 13, 1938

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2016

का.आ. 3382(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्पूर्ण असम राज्य को दिनांक 27.11.1990 की अधिसूचना का.आ. 916 (अ) के तहत दिनांक 27.11.1990 से 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: केन्द्रीय सरकार ने पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त, असम राज्य की सीमा से सटे मेघालय राज्य में सीमा से 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को भी 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: यह घोषणा कि असम राज्य और असम राज्य की सीमा से सटे मेघालय राज्य में 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया जाएगा, असम राज्य एवं उपर्युक्त क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद समय-समय पर आगे बढ़ाई गई।

और यत: असम और असम की सीमा से सटे मेघालय राज्य में 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की आगे और समीक्षा करने से निम्नलिखित इंगित होता है:

(i) भूमिगत गुटों द्वारा की जाने वाली हिंसक घटनाओं के कारण असम राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है;

(ii) जनवरी से सितम्बर, 2016 तक की अवधि के दौरान, भूमिगत गुट असम में हिंसा की 66 घटनाओं में शामिल थे जिनके परिणामस्वरूप एक सुरक्षा बल कार्मिक सहित 29 व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(iii) इस क्षेत्र में सक्रिय उग्रवादी गुटों ने दोबारा समूह बनाने, पुन: सशक्त होने और राज्य में नए काडरों की भर्ती/घुसपैठ करने के अपने प्रयासों को तेज करने का लगातार प्रयत्न किया है तथा व्यावसायियों, सरकारी कर्मचारियों एवं राजनेताओं को निशाना बनाते हुए जबरन धन वसूली कर रहे हैं;

(iv) यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ वेस्टर्न साउथ ईस्ट एशिया (यू एन एल एफ डब्ल्यू) का गठन अप्रैल, 2015 में किया गया है, और इसके दो घटक अर्थात् उल्फा (आई) और एन डी एफ बी (एस) हिंसा के प्रदर्शनात्मक कृत्यों को अंजाम देने के लिए जोरदार प्रयास कर रहे हैं तथा वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य में 57 प्रतिशत हिंसक घटनाओं एवं 84 प्रतिशत मौतों के लिए जिम्मेदार रहे हैं;

(v) एनडीएफबी (एस) आतंकवादियों ने दिनांक 5.8.2016 को कोकराझार शहर के बाहरी क्षेत्रों में व्यस्त स्थानीय बाजार में 14 आम नागरिकों को मार दिया एवं 19 अन्य व्यक्तियों को घायल कर दिया। उल्फा (आई) काडरों ने भी तिनसुकिया जिले में हिंदी भाषी 2 व्यक्तियों को मार दिया एवं दिनांक 12.08.2016 को तिनसुकिया एवं चरईदेव जिलों में क्रमश: 5 एवं 2 आई ई डी क्रूड बम विस्फोट कराया;

(vi) उल्फा (आई) अरुणाचल प्रदेश- म्यांमार सीमा पर एनएससीएन (के) और केवाईकेएल तथा मेघालय-बांग्लादेश सीमा पर जीएनएलए एवं एचएनएलसी सहित अन्य भूमिगत गुटों के साथ संयुक्त कार्रवाई का समन्वय कर रहा है तथा म्यांमार में अपने शिविरों में केपीएलटी/यूपीएलए के काडरों को प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहा है;

(vii) कार्बी उग्रवादी गुट अर्थात् यूपीएलए, यूकेपीएलए और केपीएलटी के विभिन्न गुट कार्बी आंगलांग एवं दीमा हसाओ के पहाड़ी जिलों में जबरन धनवसूली एवं फिरौती के लिए अपहरणों में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं; तथा

(viii) असम राज्य के पहाड़ी और घने वन वाले सीमावर्ती क्षेत्र, उल्फा (आई), एनडीएफबी (एस), एनएससीएन (आई एम), एनएससीएन (के), जीएनएलएकेपीएलटी तथा कई मैतई भूमिगत गुटों के लिए शिविरों/आश्रय स्थलों/छिपने के ठिकानों के लिए उपयुक्त अवस्थान प्रदान करते हैं तथा इसका लाभ उठाकर इन गुटों के काडर सुरक्षा बलों की कार्रवाई से बचने के लिए पड़ोसी राज्यों में चले जाते हैं।

अत:, अब, सम्पूर्ण असम राज्य तथा असम की सीमा से सटे मेघालय राज्य की 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत 3.11.2016 के बाद छह माह तक 'अशांत क्षेत्र' के रूप में बने रहेंगे जब तक कि इसे इससे पहले वापिस न लिया जाए।

[फा. सं. 11011/38/98-एन ई-IV]

सत्येन्द्र गर्ग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2016

S.O. 3382(E).—Whereas the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the entire State of Assam as 'disturbed area' with effect from 27.11.1990 vide Notification S.O. 916(E), dated 27.11.1990.

And whereas the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the aforesaid Act had also declared, besides other areas, the areas falling within 20 kms wide belt in the State of Meghalaya bordering with the State of Assam as 'disturbed area'.

And whereas the declaration that the State of Assam and areas falling within 20 kms wide belt in the State of Meghalaya bordering with the State of Assam shall be a 'disturbed area' under the aforesaid Act was extended from time to time after reviewing the law and order situation in the State of Assam and the aforesaid area.

And whereas a further review of the law and order situation in Assam and the 20 kms wide belt in the State of Meghalaya bordering Assam indicate the following:-

(i) The law and order situation in the State of Assam has continued to be a matter of concern due to the violent incidents by underground outfits;

(ii) During the period January to September 2016, the Under Ground Outfits were involved in 66 incidents of violence in Assam which resulted in the killing of 29 persons including 1 Security Forces personnel;

(iii) The militant outfits operating in the area continue to have been making constant efforts to regroup, re-strengthen and intensified their efforts for recruitment/infiltration of new cadres into the State and indulging in coercive extortion targeting businessmen, tea garden owners, contractors, commercial vehicles, timber smugglers, transporters and even Government officials and politicians;

(iv) United National Liberation Front of Western South East Asia (UNLFW) has been formed in April, 2015, and two of its constituents viz ULFA(I) and NDFB(S) have been desperately making efforts to perpetrate demonstrative acts of violence and during the current year they have been responsible for 57% of the incidents of violence and 84% of the deaths in the State;

(v) NDFB (S) militants shot dead 14 civilians and injured 19 others in a busy local market on the outskirts of Kokrajhar town on 5.8.2016. ULFA(I) cadres also shot dead 2 Hindi speaking persons in Tinsukia district and orchestrated 5 and 2, IED crude bomb explosions in Tinsukia and Charaideo districts respectively on 12.08.2016;

(vi) ULFA(I) is coordinating joint action with other UG outfits, including NSCN(K) and KYKL along Arunachal Pradesh-Myanmar border and with GNLA and HNLC along Meghalaya-Bangladesh border also providing training to cadres of KPLT/UPLA in its camps in Myanmar;

(vii) Karbi militant outfits viz. UPLA, UKPLA and various factions of KPLT have been actively involved in extortions and abductions for ransom in the hill districts of Karbi Anglong and Dima Hasao; and

(viii) The hilly and densely forested border areas of the State of Assam provide an apt location for camps/shelters/hideouts to ULFA(I), NDFB(S), NSCN(IM), NSCN(K), GNLA KPLT and several Meitei UG outfits and cadres of these outfits take advantage of crossing over to neighbouring States in order to evade Security Forces actions.

Now, therefore, the entire State of Assam and the 20 kms wide belt in the State of Meghalaya bordering Assam shall continue to be 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 upto six months beyond 3.11.2016, unless withdrawn earlier.

[F. No.11011/38/98-NE-IV]

SATYENDRA GARG, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR
Digitally signed by HARINDRA KUMAR
Date: 2016.11.05 12:03:24 +05'30'